Order Sheet [Contd] Case No 392/17 बी०ए

	Case No <u>592/</u>	<u>17</u> 9105
Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है। कार्य विभाजन पत्रक के अनुसार प्रकरण मेरे समक्ष पेश। आवेदक धर्मेन्द्रसिंह द्वारा श्री आर.पी.एस. गुर्जर अधिवक्ता उपस्थित। राज्य द्वारा श्री भगवानिसंह बघेल अपर लोक अभियोजक उपस्थित। थाना गोहद चौराहा के अपराध कमांक 109/17 अंतर्गत धारा 457, 380 भाठवंठिंठ की कैंफियत व केस डायरी प्राप्त। जमानत आवेदन के साथ आवेदक के पिता संग्राम सिंह का शपथपत्र संलग्न किया गया है। आवेदन एवं शपथपत्र में यह बताया गया है कि यह आवेदक का प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जाठफौठ है। इस प्रकार का अन्य कोई आवेदन इस न्यायालय या समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न तो विचाराधीन है और न ही निराकृत हुआ है। ऐसा ही केस डायरी से भी स्पष्ट होता है। आवेदक के जोगनत आवेदनपत्र पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए। आवेदक की ओर से व्यक्त किया गया है कि आवेदक ने कोई अपराध में फंसाया है। आवेदक 30 वर्षीय नव युवक है वह लम्बे समय से अभिरक्षा में है तथाकथित अपराध मृत्युदण्ड अथवा आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गई है। राज्य की ओर से जमानत आवेदनपत्र का घोर विरोध किया गया है और जमानत आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया है। उभयपक्ष को सुने जाने तथा कैंफियत व केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि दिनांक 16 एवं 17.08.2017 की दरम्यानी रात में फरियादी भूरी बाई जाटव के घर स्थित गौतम नगर गोइद चौराहा में कमरे में राखे सूटकेश में सोने चाँदी के जेबर आदि कीमत 70.000/— रूपए की चोरी हो गई। जिसकी रिपोर्ट गोहद चौराहा थाना में 17.08.2017 को की गई। दौराने अनुसंधान यह तथ्य सामने आए के उक्त बोरी अभियुक्त अजयसिंह धर्मेन्द्र सिंह एवं रामबीर के द्वारा मिलकर की गई थी। अभियुक्त अजयसिंह के आधिपत्य से एक	Pleaders where
	करधोनी चॉदी जैसी, एक जोडी बिछिया चॉदी जैसे, एक पेडिंल, मंगलसूत्र सोने जैसा, धर्मेन्द्र सिंह से एक जोडी झुमकी सोने जैसी, एक चूड़ा बच्चे का चॉदी जैसा, एक तोड़ी चॉदी जैसी एवं अभियुक्त रामबीर के आधिपत्य से एक जोड़ी	
	जता, इक ताला नावा जता इव जानपुक्त रानवार के जाविक्त से एक जाला	

बाला सोने जैसा, एक हाय सोने जैसे जैसी, दो जोड़ी बिछिया चाँदी जैसे, एक तोड़ी चाँदी जैसी, एक चूड़ा बच्चे का चाँदी जैसा जप्त किए गए। आवेदक धर्मेन्द्रसिंह के द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर समूह में चोरी की गई है। केस डायरी के अनुसार धर्मेन्द्रसिंह के विरूद्ध एक अन्य अपराध चोरी का ही दर्ज है। अजयसिंह के विरूद्ध एक मारपीट और एक चोरी का अपराध दर्ज है। रामबीर के विरूद्ध चार चोरी के, एक आयुध अधिनियम का तथा एक एम.पी.डी. पी.के एक्ट के अपराध है। अतः मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों, तथ्यों एवं अपराध की प्रकृति एवं उसके स्वरूप, आवेदक के विरूद्ध आक्षेप तथा आवेदक के आपराधिक रिकार्ड को देखते हुए आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप आवेदक का जमानत आवेदनपत्र निरस्त किया गया।

आदेश की प्रति सहित केस डायरी बापस की जावे। प्रकरण का सार अंकित कर प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(मोहम्मद अजहर) द्वि. अपर सत्र न्यायाधीश गोहद WILHOUT PRESIDENT TO THE PROPERTY OF THE PROPE जिला– भिण्ड म०प्र०